संख्या- 530/15-7-161561/96

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
शिक्षा सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र,
प्रीत विहार, नई दिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 1997

विषय:- राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, केसरा रोड, अमरोहा, मुरादाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, केसरा रोड, अमरोहा, मुरादाबाद को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

(1)- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय समय पर नवीनीकरण कराना होगा।

(2)- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

(3)- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के छात्रों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(4)- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उन परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(5)- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

CERTIFIED TRUE COPY

PRINCIPAL

---2/-

For-RADHA KRISHNA PUBLIC SCHOOL
MANAGER

PRINCIPAL
Radha Krishna Public School, Amroha
(Affiliated to C.B.S.E., Delhi)
Affiliation No. 2130347
School Code 81119

(16)- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

(17)- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।

(18)- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा।

(19)- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि

(1)- पूर्व में लिये जा रहे प्रवेश शुल्क व कापशन मनी अब नहीं लिया जा रहा है।

(2)- विद्यालय भवन में भविष्य में निर्धारित मानक के माप के कक्ष निर्मित किये जायेंगे।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- 530(1)/15-7-1(156)/96, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- शिक्षा निदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।
2- मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, मुरादाबाद।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मुरादाबाद।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रबन्धक, राधा कृष्ण पब्लिक स्कूल, डेल्ला रोड, अमरोहा, मुरादाबाद।

आज्ञा से,

(अशोक गांगुली)
संयुक्त सचिव।

CERTIFIED TRUE COPY

PRINCIPAL
Radha Krishna Public School, Amroha
(Affiliated to C.B.S.E., Delhi)
Affiliation No. 2130347
School Code 81119

For RADHA KRISHNA PUBLIC SCHOOL
MANAGER